युवा गर्व से हिन्दी का प्रयोग करे, अंग्रेजी न जानने पर आत्म विश्वास कम नहीं करें : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एवं विधायक सिविल लाइन्स गोपाल शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में शनिवार को जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य सभागार में राजस्थान सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हिंदी दिवस की शुभकामनायें देते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम हिन्दी भाषी हैं। हिंदी भाषा जन-जन की भाषा है, जो भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। हमें राष्ट्र पर गर्व है, तो हमें राष्ट्र की भाषा हिन्दी पर भी गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी न जानने पर आत्म विश्वास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी सिर्फ एक भाषा या विषय नहीं बल्कि हमारी पहचान है, भावों की अभिव्यक्ति है, एक विस्तृत विचारधारा, सोच और हमारी संस्कृति है। जब भी हम देश के बाहर कहीं जाते हैं और वहां किसी भारतवासी से मिलना होता है और जब उनसे हिन्दी में बात करते हैं तो बड़ी ही आत्मीयता ओर अपनेपन का अनुभव होता है।

उपमुख्यमंत्री ने उन सभी महानायकों, महापुरूषों को नमन किया जिनके प्रयासों से हिन्दी को संरक्षण और बढ़ावा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला, उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हिन्दी को बढ़ावा देने में विश्वास रखती है। हमारी सरकार हिन्दी को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर जोर दे रही है। पिछली सरकार अंग्रेजी स्कूल पर जोर देती थी किन्तु हमारी सरकार की ओर से दृढ़ता के साथ हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दिया कुमारी ने युवाओं व छात्र-छात्राओं को आव्हान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में हिन्दी का उपयोग करें और खासकर सोशल मीडिया पर भी हिन्दी को बढ़ावा दें। उन्होंने डॉ. के. के. पाठक के हिन्दी भाषा ज्ञान की तथा राजस्थान सरकार के बजट निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। इस सुअवसर पर उन्होंने हिन्दी सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखकों, बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी बधाई दी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कला संस्कृति एवं पर्यटन विषयों पर निरन्तर अपनी लेखनी से योगदान देने वाले साहित्यकार एवं अतिरिक्त निदेशक जनसम्पर्क राजेश कुमार व्यास को उनकी प्रख्यात ''कृति कलाओं की अन्तर्दृष्टि'' हेतु सम्मानित किया गया।

- उपमुख्यमंत्री ने कहा ''हिन्दी सिर्फ एक भाषा या विषय नहीं बल्कि हमारी पहचान है, भावों की अभिव्यक्ति है''
- उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अंग्रेजी स्कूल पर जोर देती थी किन्तु हमारी सरकार की ओर से दृढ़ता के साथ हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विशिष्ट अतिथि मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हिन्दी भाषा को किसी एक क्षेत्र की भाषा कहना सही नहीं हैं, यह पूरे देश की भाषा है। हिंदी भाषा का उपयोग दैनिक जीवन में होना चाहिए। निज भाषा का ज्ञान ही उन्नित का आधार है। उन्होंने कहा कि लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर लालायित रहते हैं। किन्तु अब हमें हिन्दी भाषा की ओर अग्रसर होना होगा।

सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नित है, सब उन्नित को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय के सूल। हम सबको अपनी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच पर हिन्दी भाषा में बोलते हुए कहा था कि ''स्वप्न हुआ साकार''।

शासन सचिव, कार्मिक विभाग डॉ. के. के. पाठक ने समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि भाषा एक प्रवाह है। भाषा सरिता है, सागर नहीं है। भाषा संवाद का माध्यम है जबकि सागर तो ज्ञान है। संस्कृत, पाली व प्राकृत और हिन्दी भाषा के विकास का अपना इतिहास है। दुनिया की आधी आबादी भारतीय प्रायद्वीप में रहा करती थी।

डॉ. के. के. पाठक ने लघु वृतांतों के माध्यम से भाषा के प्रवाह और विकास को समझाया। उन्होंने एक भाषा से दूसरी भाषा के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के मूल शब्दों से अंग्रेजी और फारसी तथा विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ मेल खाने वाले रोचक उदाहरणों से भाषा के वैश्विक विकास पर प्रकाश डाला।

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग कृष्ण कुणाल ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस वर्ष 12वीं कक्षा में सर्वाधिक छात्रों ने हिंदी विषय का चुनाव किया है। संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगिकृत किया। हिंदी केवल भारत की ही भाषा नहीं है अपितु यह विश्व की भाषा बन गई है। उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी भाषा को महत्त्व दें रहे हैं। हिन्दी भाषा ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम का माध्यम बनी। हिन्दी देश और दुनियां को जोड़ने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा था कि भारतीय भाषाएं नदिया हैं तो हिंदी महानदी है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इससे पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलन कर सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनको स्वागत स्वरुप पादप एवं पुस्तक भेंट की गई। इसके पश्चात छात्राओं द्वारा शुभमकरोति कल्याणम वन्दना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर भाषा विमर्श के विशेषांक प्रशासन में सर्जन का विमोचन किया गया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कला संस्कृति एवं पर्यटन विषयों पर निरन्तर अपनी लेखनी से योगदान देने वाले साहित्यकार एवं अतिरिक्त निदेशक जनसम्पर्क राजेश कुमार व्यास को उनकी प्रख्यात ''कृति कलाओं की अन्तर्दृष्टि'' हेतु सम्मानित किया गया। इसी प्रकार डॉ. अखिलेश पालरिया को उनकी पुस्तक'' मेरी प्रिय कहानियां'', साहित्यकार विजय जोशी को उनकी पुस्तक ''अनुभूति के पथ पर:जीवन की बातें'',डॉ. सतीश कुमार को उनकी पुस्तक ''मैं विधायिका हूं'', श्री बजरंगलाल जेठू को ''जनसंचार,पत्रकारिता एवं सिनेमा'' डॉ.डी.डी. ओझा को पुस्तक ''जलशोधन-प्राचीन से अर्वाचीन'', डॉ. दिपक सिंह राजपुरोहित को पुस्तक ''नाड़ी दीप विज्ञान'', डॉ. सचिन गुप्ता को ''उद्यिमता दृष्टिकोण'' डॉ. सुनिता गुप्ता व डॉ एन.के. गुप्ता को ''फसल कार्यिकी के मूल सिद्धांत'' और डॉ. दीपिका विजयवर्गीय को पुस्तक ''चैतन्य महाप्रभू और गौड़िय संप्रदाय'' के लिए सम्मानित किया गया।

समारोह में हिन्दी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले चयनित विद्यार्थियों (बोर्ड परीक्षा, 2024 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) का संभागवार सम्मान किया गया। निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग मनीष गोयल ने कार्यक्रम के अन्त में सभी का आभार जताया।

डोल ग्यारस पर जल विहार को निकले ठाकुरजी

जयपुर के आराध्य देव गोविंददेवजी मंदिर में ठाकुरजी को 1100 किलो फलों का भोग लगाया गया। फलों में विशेष रूप से सेव, नाशपती, पपीता, अनार, अन्नानास व अंगूर शामिल थे।

जयपुर। भाद्रपद शुक्ल एकादशी शनिवार को जलझूलनी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। शाम को कॉलोनी के हर मंदिर से डोल निकले। शालिग्रामजी को पालकी में विराजमान कर शंख-घंटा-घडिय़ाल बजाते हुए जयकारों के साथ डोल यात्राएं निकाली गई। श्रद्धालु डोल के नीचे से निकले। ठाकुरजी के दर्शन किए। इसके बाद ठाकुरजी को जल विहार कराया गया।

आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में जल झूलनी एकादशी झूलन महोत्सव के रूप में मनाई गई। मंदिर महंत श्री अंजन कुमार जी गोस्वामी के सान्निध्य में ठाकुर श्री शालिग्रामजी भगवान को चांदी के खाट पर विराजमान कर मंदिर के दक्षिण पश्चिमी चौक तुलसी मंच पर ले जाया गया। यहां वेद मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक कर चंदन श्रृंगार किया गया। आरती और भोग अर्पण के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ तुलसी मंच की चार परिक्रमा कराकर पुन: ठाकुर श्री शालिग्राम जी को खाट पर विराजमान कर मंदिर की एक परिक्रमा कराकर निज मंदिर में प्रवेश कराया गया। शालिग्रामजी को ठाकुर श्रीजी के समीप विराजमान किया गया। उसके बाद संध्या झांकी आरती दर्शन खुले। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विशेष झांकी के दर्शन किए।

- गोविंद देवजी मंदिर में शालिग्राम भगवान को कराई परिक्रमा, सजी विशेष झांकी

इससे पूर्व ठाकुर श्रीजी का सुबह मंगला झांकी बाद वेद मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया। लाल रंग की नवीन नटवर वेश की पोशाक धारण कराकर गोचारण लीला के विशेष श्रृंगार धारण कराए गए। ठाकुरजी को 1100 किलो फलों का भोग लगाया गया। फलों में विशेष रूप से सेव, नाशपती, पपीता, अनार, अन्नानास, अंगूर शामिल थे।

मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी 15 सितंबर को वामन जयंती मनाई जाएगी। निज मंदिर में राजभोग झांकी पूर्व शालिग्राम जी (नारायण जी) का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद राजभोग आरती के दर्शन होंगे। वहीं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर निज मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में राजभोग झांकी पूर्व ठाकुर श्री शालिग्राम जी (नारायण जी) का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद राजभोग आरती के दर्शन होंगे। ठाकुर जी को नवीन केसरिया लप्पा जामा पोशाक एवं विशेष अलंकार श्रृंगार धारण कराया जाएंगे।

डी.पी.सी. नहीं करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की एमएसीटी कोर्ट के कर्मचारियों की पदोन्नित के लिए डीपीसी नहीं करने से जुड़े मामले में प्रमुख विधि सचिव और एमएसीटी ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक भंडारी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकार्ता एमएसीटी ट्रिब्यूनल में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। प्रमुख विधि सचिव ने 16 सितंबर 2022 को एमएसीटी ट्रिब्यूनल में काम कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अब तक डीपीसी आयोजित नहीं की गई और उसे पदोन्नित का लाभ नहीं मिला। जबकि याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल में 2017 से कनिष्ठ सहायक के पद पर काम कर रहा है और पदोन्नित की वरिष्ठता सूची में शामिल है।

आवासीय विद्यालयों के हालात सुधारे सरकार : मानवाधिकार आयोग

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को कहा है कि वह प्रदेश में संचालित सभी आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के उचित खान-पान, रहवास, सुरक्षा और देखभाल के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करे। इसके साथ ही वहां रहने वाले विद्यार्थियों की प्रतिदिन कम से कम दो बार उपस्थित दर्ज की जाए। वहीं बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना उनके परिजनों व वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आयोग ने बीआर अंबेडकर आवासीय छात्रावास, खेड़ा आसपुर, डूंगरपुर के 11वीं कक्षा के छात्र की मौत के मामले में उसके परिजनों को एक लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। आयोग ने मामले में प्रधानाचार्य को दिए गए आरोप पत्र की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार मुआवजा राशि की रिकवरी दोषी अधिकारी से कर सकती है। आयोग ने यह आदेश सुभाष शर्मा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

- विद्यार्थियों की सुबह-शाम हाजिरी दर्ज करने का आदेश

परिवाद में बताया गया कि अप्रैल, 2023 में आसपुर के आवासीय छात्रावास के तीन सौ मीटर दूरी स्थित कुए में इस हॉस्टल में रहने वाले दीपक मीणा की लाश मिली थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए छात्रावास प्रशासन की लापरवाही बताई थी। परिवाद में कहा गया कि 560 विद्यार्थियों की क्षमता वाले इस छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय विभाग की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि प्रशासनिक जांच में छात्र के सीसीटीवी से बचते हुए टूटी दीवार कूदकर भागने की बात सामने आई है।

इसके अलावा प्रधानाचार्य और अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल विभाग भेज दिया गया है। आयोग ने कहा कि यदि हॉस्टल की दीवार टूटी हुई थी तो अधीक्षक का दायित्व था कि वह इसे ठीक कराने का प्रयास करता, लेकिन उनकी ओर से न तो इसे ठीक कराया गया और ना ही अवरोधक डालकर उसे बंद किया गया।

कुछ दल आदिवासियों को बरगला रहे हैं : राधा मोहन दास अग्रवाल

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चो की प्रदेश स्तरीय बैठकों का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, सदस्यता अभियान संयोजक एवं उपचुनाव वाली विधानसभा के प्रभारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी राधामोहनदास अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लेकर जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, व जनजाति मोर्चो के पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान को वार्ड स्तर तक के कार्यकर्त्ता को समझाकर भाजपा का सदस्य बनाना है। आने वाले उपचुनावों में अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चो की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें विपक्ष द्वारा फैलाये जा रहे झूठ से जनता को

पति पर शक करना व माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता

जयपुर। शहर की फैमिली कोर्ट-दो ने पत्नी की ओर से पति पर शक करने, उसके माता-पिता से अलग रहने के लिए दबाव डालने व उनका अपमान करने को मानसिक क्रूरता मानते हुए दोनों की साढे ग्यारह साल पुरानी शादी को समाप्त कर दिया है। अदालत ने पति की ओर से तलाक लेने के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए कहा कि पत्नी का पति पर बिना किसी आधार के अवैध संबंधों का आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता ही है। पति यह साबित करने में सफल रहा है कि पत्नी उसके घर वालों से बिना किसी कारण झगडा करती थी, उसकी मां को गालियां देती थी और अनजान लोगों से फोन पर बात करती थी। ये सभी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। वहीं पत्नी ने कभी भी शादी बचाने का प्रयास नहीं किया और उसने पति पर जो भी आरोप लगाए हैं, उन्हें वह साबित करने में सफल नहीं रही है। ऐसे में 17 जनवरी 2013 को हुए विवाह को विच्छेद किया जाना उचित होगा।

मामले के अनुसार पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था। प्रार्थना में कहा गया कि शादी के बाद से ही पत्नी उस पर माता-पिता से अलग होने का दबाव डालने लगी। इस दौरान ही सितंबर 2014 में उनके एक बेटा हुआ, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरे और वह उसके माता-पिता को बच्चे से हाथ भी नहीं लगाने देती। वह प्रार्थी पर शक भी करती थी और उसका फोन भी चेक करती थी। पूरे दिन लगातार अनजान लोगों से बात करती थी और पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। वहीं बातें नहीं मानने पर सुसाइड की भी धमकी देती थी। इसलिए उसे तलाक दिलवाया जाए। जवाब में पत्नी ने कहा कि उस पर लगाए सभी आरोप निराधार है और ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति खराब रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर पति के पक्ष में फैसला देते हुए तलाक की अर्जी मंजूर की है।

प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आज

जयपुर। ऑल इंडिया (अखिल भारतीय) हरियाणा गौड ब्राह्मण महासभा, जयपुर की रविवार को विशाल सामूहिक गोठ, प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह समाज की धर्मशाला श्री सिद्धपीठ बैनाड़ाधाम, बस्सी, जिला-जयपुर पर आयोजित किया जा रहा है। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिरधी चन्द शर्मा की अध्यक्षता एवं श्री श्री 1008 पीठाधीश्वर रामदयाल दास महाराज, श्री सिद्धपीठ बैनाड़ाधाम की संरक्षकता में यह विशाल सामूहिक गोठ, प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह आयोजित होगा।

खोया पाया

मेरे प्लॉट के बसंत बहार सिंधी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जयपुर की ओरिजिनल रसीद गुम हो गई है प्लॉट नंबर 41 बसंत विहार कॉलोनी गोपालपुरा मोड टोंक रोड मिलने पर सपर्क करें 9828290194

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-14/2024 डी-1428 दिनांक: 13.09.2024

सार्वजनिक सूचना

जोन-14 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की योजना के नियमन शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रस्तावित कैम्प दिनांक	विकासकर्ता	योजना का नाम	शिविर स्थल
1	17.09.2024	निजी खातेदारी	उन्नति रेजीडेन्सी, ग्राम श्रीरामपुरा, तह. सांगानेर	जोन-14 कार्यालय जविप्रा परिसर, जयपुर

उपायुक्त जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त, आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(जवाहर नगर सेक्टर नं.4, एम.पी.एस. स्कूल के पास, जयपुर)

क्रमांक- F54/A.N.Z./Dy Comm./सामान्य शाखा/2024/792 दिनांक-06.09.2024

सार्वजनिक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जुगल किशोर पुरी पुत्र श्री नारायण पुरी निवासी-भूखण्ड संख्या सी-104, गोवर्धन गलता घाटी कच्ची बस्ती जयपुर के द्वारा अपंजीकृत वसीयत, मृत्यु प्रमाण-पत्र, निर्धारित वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) आदि अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपने भूखण्ड संख्या सी-104, गोवर्धनपुरी गलता घाटी कच्ची बस्ती जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज का पट्टा चाहने हतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति मय सबूत के प्रस्तुत करे। मियाद बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाकर पट्टा जारी करने से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। सूचित हो।

युगान्तर शर्मा (R.A.S.) उपायुक्त
आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम प्रशान्त शर्मा से बदल कर प्रशान्त कुमार शर्मा रख लिया भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे 194 एफ-2 कनक वृन्दावन सिरसी रोड पांच्यावाला जयपुर

I service no 15773916W Ex L NK bhanu prakash sharma S/O late Sita Ram Sharma R/O ward no 12 khari kui shahpura jaipur that I have changed my daughter name from RAKSHITA To RAKSHITA SHARMA (DOB 25/9/2006) vide affidavit dated 10 sept 2024 before district notary Jaipur

प्रदेश में जलझूलनी एकादशी पर पूर्ण भरे जलाशय व 385 बांधों पर जल महोत्सव मनाया

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में व्यर्थ बहकर जाने वाले जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ-साथ जल के सदुपयोग के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी, इस कार्य पर 30000 करोड़ रुपए व्यय होंगे।उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं जल का सदुपयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने इस पर कार्य करना शुरु कर दिया है। प्रदेश के 6 लाख से अधिक लोगों ने जल महोत्सव में भाग लिया एवं प्रतिज्ञा ली

रावत शनिवार को प्रदेश भर में आयोजित राजस्थान जल महोत्सव के तहत जयपुर जिले के नेवटा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि जल झूलनी एकादशी के दिन पूरे राज्य में ग्राम पंचायत , ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आयोजित राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से जल के महत्व एवं जल संरक्षण पर जागरूकता से जन-जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है । प्रदेश के पूर्ण भरे जलाशयों एवं 385 बांधों पर जल महोत्सव का आयोजन किया गया बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों एवं आमजन ने भाग लिया तथा जल देवता की पूजा अर्चना की।

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने शनिवार को प्रदेश भर में आयोजित राजस्थान जल महोत्सव के तहत जयपुर जिले के नेवटा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

- राजस्थान जल महोत्सव- 2024 : राज्य में बाढ़ सुरक्षा प्रबंध एवं जल के सदुपयोग के लिए रन आफ वॉटर ग्रिड की स्थापना होगी
- रन ऑफ वाटर ग्रिड पर 30000 करोड़ रुपए व्यय होंगे
- प्रदेश में भरपूर बारिश से उत्साह का माहौल, प्रदेश के 6 लाख से अधिक लोगों ने जल महोत्सव में भाग लिया एवं प्रतिज्ञा ली

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों एवं आमजन के लिए सिंचाई एवं पेयजल को प्राथमिकता देते हुए ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया है।इसमें पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी के अधिशेष जल को प्रदेश के 21 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए उपयोग में लाया जाएगा। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल को लाने के लिए कार्य भी शुरू किया गया है। ईआरसीपी से जयपुर जिला भी जुड़ेगा, इसका लाभ यहां की जनता को भी मिलेगा।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून ने राजस्थान पर विशेष कृपा की है और अच्छे मानसून के कारण प्रदेश के बांध कुल भराव क्षमता के 84.88 प्रतिशत तक भर चुके हैं,385 बांध पूर्ण भर और ओवरफ्लो हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सामान्य से 63.71 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है ।कार्यक्रम में जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर व्यर्थ नहीं बहाने तथा जल को प्रदूषित नहीं करने सहित स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।

रावत ने इससे पहले नेवटा गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया तथा कलश पूजन कर गांव की महिलाओं को कलश देकर मंदिर से नेवटा बांध तक कलश यात्रा को रवाना किया।ग्रामीणों ने श्री रावत का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, सांगानेर प्रधान भंवर कंवर, सरपंच प्रियंका शर्मा, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह, ईआरसीपी के प्रबंध निदेशक राकेश गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी तथा आमजन उपस्थित थे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निवाई शाखा, टोंक, राजस्थान, फोन नं.: 01438-222401, 8094018411
ई-मेल: newai@bankofbaroda.com

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणियों एवं जमानतदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अत: उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुन: लौटकर आ गए हैं। अत: उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

क्र. संख्या	ऋणियों एवं जमानतदारों का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/ बंधक सम्पत्तियों का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
1.	**मैसर्स श्री शुभ इन्टरप्राईजेज** 1, बिलाला मार्केट, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान 304021 **प्रोपराईटर- श्री सुरेश चंद जैन पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जैन** 1, वाई नं. 05, गुर्जरों का मोहल्ला, बिलाला मार्केट, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान 304021 **जमानतदार- श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री दामोदर लाल जैन, श्रीमती गटोल देवी जैन पत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री सुरेश चंद जैन** वाई नं. 5, गुर्जर मोहल्ला, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान 304021	(1) श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री सुरेश चंद जैन के नाम साध्यिक बंधक दिनांक 30.12.2020 सम्पत्ति जो वार्ड नं. 5, पुरानी सब्जी मंडी के पास, मोहल्ला गुजरान, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27.20 वर्ग मीटर है। सीमाएं- पूर्व: राजेन्द्र पाटनी का मकान, पश्चिम: श्रीमती गटोल देवी जैन एवं श्रीमती सुमन देवी की दुकान, उत्तर: राजेन्द्र पाटनी की दुकान, दक्षिण: 20 फीट रोड़ (2) श्री सुरेश चंद जैन पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जैन एवं श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री दामोदर लाल जैन के नाम साध्यिक बंधक दिनांक 30.12.2020 सम्पत्ति जो मेहलों के नीचे, मोहल्ला गुजरान, कस्बा निवाई, जिला टोंक, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 171 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: चबुतरा एवं श्री कमल पंडित का मकान, उत्तर: खाम मकान एवं श्री कल्याण गुर्जर की भूमि, दक्षिण: रोड़	23.08.2024 / गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक 12.08.2024	दिनांक 18.08.2024 को बकाया राशि रू. 40,08,744.87 (रूपये चालीस लाख आठ हजार सात सौ चवालीस एवं पैसे सतासी मात्र) (दिनांक 18.08.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।
2.	**श्री सुरेश चंद जैन पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जैन** वाई नं. 5, गुर्जर मोहल्ला, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान 304021 **सह-ऋणी- श्रीमती गटोल देवी जैन पत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री सुरेश चंद जैन** वाई नं. 5, गुर्जर मोहल्ला, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान 304021	श्रीमती गटोल देवी जैन पत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री सुरेश चंद जैन के नाम साध्यिक बंधक दिनांक 29.04.2022 सम्पत्ति पट्टा नं. 902 जो वाई नं. 5, सब्जी मंडी के पास, मोहल्ला गुजरान, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27.20 वर्ग मीटर है। सीमाएं- पूर्व: अन्य मकान/श्रीमती गटोल देवी एवं सुमन देवी की दुकान, पश्चिम: अन्य मकान/कजोड़ मल जैन की दुकान, उत्तर: अन्य मकान/राजेन्द्र पाटनी की दुकान, दक्षिण: रोड़	23.08.2024 / गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक 12.08.2024	दिनांक 18.08.2024 को बकाया राशि रू. 25,60,250.52 (रूपये पच्चीस लाख साठ हजार दो सौ पचास एवं पैसे बावन मात्र) (दिनांक 18.08.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों एवं जमानतदारों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं/जमानतदारों को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों एवं जमानतदारों को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।

**कर्जदारों/जमानतदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आ